# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील रसद प्रकरण संख्या 03/2020(GCMS : 2020/00088)

**व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, ओड़की,** तहसील व जिला श्रीगंगानगर

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये जिला प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**09.10.2023**

**प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री रोहिताष महेन्द्रा ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 71/2019 अनवानी सरकार बनाम ग्राम सेवा सहकारी समिति, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 21.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने उक्त आदेश दिनांक 21.10.2019 के तहत अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित किया था, जिसे निरस्त करने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की थी।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 71/2019 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 के विरूद्ध पेश की थी, जिसके तहत अपीलार्थी ग्राम सेवा सहकारी समिति, ओड़की का प्राधिकारी पत्र 90 दिवस के लिए निलम्बित किया गया था। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2023 के अनुसार उक्त राशन वितरण में अनियमितताएं के कारण अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 21.10.2019 को निलंबित किया गया था लेकिन तत्समय प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में राशन वितरण में हिदायत सहित 100 रू. शास्ति लगाकर दिनांक 17.04.2020 को प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जा चुका है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार** पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 17.04.2020 को जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा बहाल किया जा चुका है, इसलिए यह अपील निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय मूल रिकॉर्ड, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 13:00:47 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर